

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।

पत्रांक— 2138 / 33-1 बस्ती, दिनांक, नवम्बर 10 / 2023
सेवा में,

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०,
गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर डिपो,
देवरिया।

विषय:-

जनपद-बस्ती में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लखनऊ-गोरखपुर रोड, एन०एच०-27 (पुराना एन०एच०-28) के किमी० नं०-165 (चैनेज सं०-164.848) के मध्य दांयी पटरी पर खसरा सं०-402 ग्राम-बडहर खुर्द, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती (उ०प्र०) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.20284 हे० (Entry Area=0.0552689 ha. + Exit Area = 0.0811174 ha. + Separator island = 0.0664537 ha, Total area is 0.20284 ha.) संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 16 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू.पी./06/306/2022/एफ.सी./379 दिनांक 23.10.2023 तथा मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक 1109/11-सी- FP/UP/Approach/153670/2022 दिनांक 27.10.2023,

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे। विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र जिन्हे संलग्न किया जा रहा है, के क्रम में निर्दिष्ट सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात् एन०पी०वी० तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या 05 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिससे विधिवत् स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

क्र० सं०	मद का नाम	जमा की जाने वाली अपेक्षित धनराशि
1	2	3
1	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) (मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2049/11-सी-गाईडलाइन दिनांक 07.01.2022 के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र संख्या- File No. 5-3/2011-FC(Vol-1) दिनांक 06.01.2022 नवीनतम आदेशानुसार) (957780 x 0.20284= 194276.09 अथवा 194276.00)	194276.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	276495.00
	(चार लाख सत्तर हजार सात सौ इक्कहत्तर मात्र) योग-	470771.00

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन प्रकाश शाक्य)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।

संख्या:- 2138 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, बस्ती।
- 2- वन संरक्षक, बस्ती वृत्त बस्ती।
- 3- क्षेत्रीय वन अधिकारी हरैया को इस आशय से प्रेषित की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जांच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि उच्च स्तर को ससमय सूचना भेजी जा सके।

(नवीन प्रकाश शाक्य)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।

016